

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ़

पत्रांक: भण्डार/निष्प्रयोज्य साज-सज्जा/नीलामी/2016/

दिनांक: 29.07.2016

नीलामी-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ़ के परिसर में रखी गयी निष्प्रयोज्य साज-सज्जा मशीनें-उपकरण, फर्नीचर, कीड़ा सामान, स्कैप एवं तैयार माल आदि (जहाँ है, जैसा है के आधार पर) की सार्वजनिक नीलामी की जानी है।

नीलामी दिनांक 16.08.2016 को नीलामी समिति के समक्ष प्रातः 11 बजे संस्थान परिसर में की जायेगी।

शर्तें

- 1-इच्छुक फर्म के बोलीदाता को दिनांक 12.08.2016 तक धरोहर धनराशि 1,000/- (एक हजार) रुपये नगद जोकि रिफन्डेबिल होगा संस्थान के कैशियर के पास अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा करानी होगी।
- 2-नीलामी में सम्मिलित होने वाले बोलीदाताओं को फर्म का टिन नम्बर, पैन नम्बर धरोहर धनराशि जमा करते समय अभिलेखित करना होगा।
- 3-इच्छुक बोलीदाता जिनके द्वारा धरोहर धनराशि जमाकर दी गयी है, निष्प्रयोज्य सामग्री का निरीक्षण नीलामी के दिनांक से दो कार्यदिवस पूर्व से पूर्व से पूर्वाहन 10 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक संस्थान परिसर में कर सकते है।
- 4-नीलामी समाप्त होने के पश्चात अन्तिम बोलीदाता को तुरन्त उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि(धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुए) नगद जमा करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5-अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर शेष धनराशि एवं नियमानुसार देय व्यापार कर जमा कराना होगा। अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गयी 25 प्रतिशत धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
- 6-नीलामी की धनराशि पर नियमानुसार समस्त कर अतिरिक्त देय होंगे।
- 7-पूर्ण धनराशि जमा होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर बोलीदाता को नीलामी का सामान अपने व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा।
- 8-निर्धारित समय अवधि में नीलामी सामान न उठाने की दशा में उसमें कोई क्षति होती है, तो बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 9-नीलामी में भाग लेने वाला बोलीदाता द्वारा किसी भ प्रकार का अस्त्र-शस्त्र संस्थान परिसर में लाना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।
- 10-बोलीदाता फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा। इसके अतरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नीलामी परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
- 11-निर्धारित शर्तों का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 12-अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
- 13-नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अलीगढ़ स्थित सक्षम न्यायलय में की जायेगी।
- 14-बिना करण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- 15-उक्त विज्ञापन बेबसाईट www.upgov.nic.in/ www.aligarh.nic.in पर उपलब्ध है।

(अब्दुल्लाह सलमान)

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
अलीगढ़